राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक :12.04.2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.03.2020 के द्वारा **सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 22 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2020** तक आवश्यक सेवाओं को छोडकर समस्त सरकारी कार्यालय, अर्द्धसरकारी उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाऐं, राजकीय निगम/मण्डल एवं समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां, वर्कशॉप, गोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज, सिटी परिवहन, प्राईवेट बसें, टेक्सी, ऑटो रिक्शा आदि) **आदि पूर्णतः बन्द रखे जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे।**

उक्त प्रतिबन्ध से राजस्थान मेडिकल काउन्सिल, राजस्थान नर्सिंग काउन्सिल एवं राजस्थान पैरा मेडिकल काउन्सिल को मुक्त रखा जाता है।

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस, राज.
7. संभागीय आयुक्त, जयपुर/जिला कलक्टर, जयपुर
8. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग।
9. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
10. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउन्सिल/राजस्थान नर्सिंग काउन्सिल/राजस्थान पैरा मेडिकल काउन्सिल को प्रेषित कर लेख है कि आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
13. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव